

शेख
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिएस जज

अहकाम जा
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

14/10/2020 पकुराय फरीकैन उपस्थित। अग्रार्थी

संख्या 3 व 4 की तयवी कद की जारी

है। बहान विधान अधिकारता उग्र

पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में जारी

अस्यार्थ निषेधाता कोर्ट दिनांक 21/10/2019

औ पुष्ट (Gomman) किया जाकर उग्र

पत्रकारान को जारी अस्यार्थ निषेधाता ने

पावन किया जाता है कि वे ग्राम

गोविन्ददास पुया नहनीप खेती स्थित 21

पत्रावली संख्या 2073-2076 के खेत

संख्या 211 के खेत संख्या 1623

रकबा 0.04 हेक्टर, खेत नं. 1624

रकबा 1.00 हेक्टर, खेत नं. 1646

रकबा 0.52 हेक्टर कुल किता उग्र

रकबा 1.56 हेक्टर ग्राम की राष्ट्रीय

रिकार्ड की सहाय्यता बनाये रखे, कोर

निर्माण कार्य नहीं करे, किन्तु पत्रकारान

अपने कर्तव्य के अनुसार मोटे पर

कार्य कर सकते हैं तथा फसल की

सुरक्षा हेतु तारबन्दी, वाड, आदि

कर सकते हैं। निर्णय सुले न्यायालय

में सुनाया गया। पत्रावली संख्या

शुक्राचर्य संख्या से कट होकर

द्वारा वाड के संलग्न रहे।

उपस्थित अधिकारी
खेती वि. सुबुबु (राज)

